



Neutral Citation No - 2026:AHC:30248

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4162

अरुण कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: हरि ओम शरण तिवारी, श्रीकान्त चतुर्वेदी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित मूल अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर को यह निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-A के तहत दाखिल किए गए आवेदन दिनांकित 07.11.2025 को विहित अवधि के भीतर विनिर्णीत करें।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज पर्यन्त प्रकरण में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर उक्त आवेदन को विधि अनुसार कड़ाई से तथा समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बगैर शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"